न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–478/2017–18

फुलमंती देवी **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद फुलमन्ती देवी, पति स्व सुभाष पासवान, ग्राम–बांकरपुर, पंचायत–पोठही, प्रखण्ड–पुनपुन, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 147/07 (रद्द) द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी के आदेश ज्ञाप सं0 493 (आ0) दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान आदेश–07 धारा–15(1) के अंतर्गत दिनांक 03.11.2017 को दाखिल किया गया है।

अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 22.02.2018 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 26.04.2018 निर्धारित की गई। दिनांक 26.04.2018 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। दिनांक 29.06.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि उनकी जन वितरण प्रणाली की दुकान की जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पुनपुन द्वारा दिनांक 16.08.2016 को की गयी थी। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पुनपुन द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के ज्ञाप सं0 359(आ0) दिनांक 01.09.2016 द्वारा निम्न आरापों के सम्बद्ध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है:–

1. जन वितरण प्रणाली की दुकान अनुज्ञा–पत्र में वर्णित स्थल पर नहीं पायी गयी। अनुज्ञा पत्र में दुकान का पता ग्राम बांकरपुर में दर्ज है, परन्तु जांच में दुकान का संचालन ग्राम–रामपुर में किया जा रहा था।

2. माह अप्रैल, 16 के उपावंटन के विरूद्ध खाद्यान्न दिनांक–31.07.16 को उठाव किया गया है। उपभोक्ताओं से पूछ–ताछ के क्रम में जानकारी मिली कि दुकानदार द्वारा माह अप्रैल, 16का खाद्यान्न आंशिक रूप से वितरण किया गया है। अधिकांशतः उपभोक्ताओं के कार्ड पर माह मार्च–16 तक का

हीं खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टि पायी गयी। माह जुलाई–16 का किरासन तेल का वितरण भी आंशिक रूप से पाया गया।

3. निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा बारह अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के उपभोक्ताओं से पूछ–ताछ की गयी। उपभोक्ताओं द्वारा एक स्वर में निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष दुकानदार के वितरण व्यवस्था के प्रति अनियमितता एवं मनमानी किये जाने की शिकायत को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया।

अपीलकर्ता का कहना है कि उनकी दुकान का संचालन बांकरपुर में हीं किया जा रहा था, ग्राम रामपुर में नहीं। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उनके विरूद्ध गठित आरोपों का खण्डन किया है। उनका यह भी कथन है कि जांच के दौरान जांच पदाधिकारी के समक्ष कोई भी जन प्रतिनिधि अथवा उपभोक्ता उपस्थित नहीं था एवं झूठा, भ्रामक शिकायतकर्ता का ब्यान प्रतिवेदन नहीं किया गया है। इसलिए पूर्व में सूचना एवं अनुमति का प्रश्न नहीं उठता है। उनका कथन है कि बिहार सरकार आपूर्ति विभाग के पत्र में उल्लेख है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के दुकानदार का अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जायेगा। बल्कि चेतावनी के साथ सुधार का मौका दिया जायेगा। जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता विधवा महिला है, जो अनुसूचित जाति की है। पूरा परिवार दुकान पर आश्रित है। ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए बताया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकान अपीलकर्ता के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। वे अनुसूचित जाति की एक गरीब महिला है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को बिना पर्याप्त आधार के एवं उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पुनपुन के जांच प्रतिवेदन में बिक्रेता फूलमंती देवी द्वारा अनुज्ञप्ति में अंकित व्यापार स्थल को बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना हीं स्थल

परिवर्तन किया गया प्रतिवेदित किया गया है। खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण में भी घोर अनियमितता की गयी है, जिसकी पुष्टि लाभुकों के कार्ड जांच के क्रम में हुई। लाभुकों द्वारा ब्यान भी दिया गया है कि मार्च, 2016 तक ही खाद्यान्न वितरित की गयी है, विक्रेता का उक्त कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 अनुज्ञा–पत्र के शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख के परिशीलन एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये, अपीलकर्ता अनुज्ञा–पत्र में अंकित व्यापार स्थल से हट कर व्यापार कर रही थी। जो अनुज्ञा पत्र के शर्तो का उल्लघंन है। साथ हीं खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण में अनियमितता को अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रमाणित पाया है। उन्होंने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किया है एवं पूर्णरूपेण विचारित एवं मुखर आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/8/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

6/8/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।